

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्यांकी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2015-16 में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणान्तर्गत लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न 35 कार्यों की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

देहरादून दिनांक: 08 मई, 2015

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणान्तर्गत संलग्न विवरणानुसार प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये गये विभिन्न 35 कार्यों के प्रारम्भिक आगणनों, जिनकी लम्बाई 147.00 किमी0 + 08 सेतु है, पर विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई लागत ₹ 1792.11 लाख (ए सतरह करोड़ बयानवे लाख ग्यारह हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में संलग्नक के कॉलम सं0-5 पर उल्लिखित विवरणानुसार प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात् कुल 35 कार्यों हेतु ₹ 3.50 लाख (ए तीन लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (i)- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं0:- 1764/111(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (ii)- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दर देखा जाए उन पर स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, उन स्वीकृति पर निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जायेगा।
- (iii)- कार्य पर लागत से व्यय किया जाय जिसका स्वीकृत नाम है, स्वीकृत नाम से अधिक व्यय कदापि नहीं किया जायेगा। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत नाम से अधिक व्यय धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।
- (iv)- कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएँ तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
- (v)- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी भद में किया जाय, एक भद का दूसरी भद में व्यय कदापि न किया जाय।
- (vi)- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्स्योरनेन्ट रुल्स-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट अनुसार के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।
- (vii)- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:- 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य करते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (viii)- उक्तानुसार स्वीकृत आगणनों में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिपिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं0-22-लेखापीरिंक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-05-सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण -00-24 वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय-व्ययक में प्राविधानित निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

सचिव, आन्तरिक
आ0 ख0 लो0 नि0 वि0
देहरादून (पिथौरागढ़),

सहायक अभियन्ता
अ० ख० लो० नि० पि०
वेरीनाग (पिथौरागढ़)

Ben

शासनादेश संख्या:- 2157/111(2)/15-06(मु0म0घ00)/2015 दिनांक 03 मई, 2015 का संलग्नक

21	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-742/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र -प्रतापनगर के अन्तर्गत डोबरा से झील तक मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	0.80	5.68	0.10
22	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-739/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र -प्रतापनगर के अन्तर्गत तिवाडगांव से झील तक मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	2.00	163.70	0.10
23	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-741/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र -प्रतापनगर के अन्तर्गत भल्डियाना से झील तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	1.50	8.78	0.10
24	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-725/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र -टिहरी के अन्तर्गत कोटीगाड-बगासूधार इण्टर कालेज तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	2.00	27.10	0.10
25	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-580/2014 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-गंगोलीहाट के अन्तर्गत चौडमन्या-नैनी लेकघटी मोटर मार्ग का निर्माण एवं रामगंगा में पुल निर्माण।	20.00 + 80 mtr.	174.28	0.10
26	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-391/2014 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-गंगोलीहाट के अन्तर्गत बनकोट बाजार से बरकोट तक मोटर मार्ग निर्माण का कार्य।	2.00	23.22	0.10
27	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-81/2014 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-गंगोलीहाट के अन्तर्गत आर.एस. मण्डल में पैदल पुल निर्माण।	4.88	0.10	0.10
28	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-391/2014 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-गंगोलीहाट के अन्तर्गत गोबरगाढा में बाल नदी में पैदल पुल निर्माण।	4.88	0.10	0.10
29	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-418/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-गंगोलीहाट के अन्तर्गत सिनलेख से बुगौली तक मोटर मार्ग का निर्माण।	10.00	77.40	0.10
30	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-44/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-गंगोलीहाट के अन्तर्गत थल से आमथल-भटीगाढ तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	5.00 + 30 mtr.	47.55	0.10
31	मा0 मुख्यमंत्री की घोषणा संख्या-326/2015 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र-चौबट्टाखाल के विकासखण्ड-पोखड़ा में गवाणी-सलाण-झलपाड़ी मोटर मार्ग के सलाण गदेरे में सेतु का निर्माण कार्य।	20 mtr.	1.20	0.10

सचिव अभियन्ता
आ0 ख0 लो0 नि0 पि0
बेरीनाग (पिथौरागढ़)

2157